भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1506

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

हर खेत को पानी योजना के तहत उपलब्धियां

1506. श्री अरुण भारती:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के उप-घटकों के तहत हासिल की गई उपलब्धियां, जिनमें कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) और भूजल (जीडब्ल्यू) विकास शामिल हैं;

(ख) सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने, जल उपयोग दक्षता में सुधार और कृषि में टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ाने पर पीएमकेएसवाई का समग्र प्रभाव क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास भूजल प्रबंधन में उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए भूजल विकास घटक को आगे बढ़ाने या संशोधित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) त्वरित सिंचाई लाभ कायर्क्रम (एआईबीपी) के तहत चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास में उनके अपेक्षित योगदान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत तक पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना आदि है।

पीएमकेएसवाई एक व्यापक योजना है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। एचकेकेपी में चार उप-घटक शामिल हैं: कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर), और भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ-साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत भूजल घटक की मंजूरी

अनंतिम रूप से 2021-22 तक केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए दी गई है, जिसे बाद में चल रहे कार्यों के पूरा होने तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई में दो घटक शामिल हैं, जिन्हें अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक, 2015 में पीएमकेएसवाई की शुरुआत से दिसंबर, 2021 तक पीएमकेएसवाई का एक हिस्सा था। इसके बाद, इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक हिस्से के रूप में कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

एचकेकेपी के विभिन्न उप-घटकों की उपलब्धियां नीचे दर्शाई गई हैं:

क्रम सं.	**एचकेकेपी का घटक**	**मार्च, 2024 तक की उपलब्धियाँ**
1.	सीएडी और डब्लूएम	19.28 लाख हेक्टेयर का कमांड क्षेत्र विकसित किया गया है।
2.	एसएमआई औ आरआरआर	4.64 लाख हेक्टेयर का निर्माण/पुनर्स्थापन किया गया है औ 191.28 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल के भंडारण व पुनर्जीवित किया गया है।
3.	जीडब्ल्यू	88,547 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

एचकेकेपी के उपरोक्त घटकों के अलावा, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 26.27 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता भी सृजित की गई है, पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के अंतर्गत बेहतर जल उपयोग दक्षता के लिए सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 95.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और मार्च, 2024 तक वाटरशेड विकास के माध्यम से पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के अंतर्गत 9.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षात्मक सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है।

(घ) पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं को सफलता से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी की जाती है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की परियोजनावार आवधिक समीक्षा करते हैं और मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को अंतिम रूप दिया जाता है। इन परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से भी की जाती है, जिसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सृजित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।

दो पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत बिहार की दुर्गावती सिंचाई परियोजना और पुनपुन सिंचाई परियोजना नामक दो परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं में 37,270 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से मार्च, 2024 तक 26,670 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है।

******